

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/45001-45005/प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक/वेतन व्यवस्था/2022/448 दिनांक:-08.09.2022

--:कार्यालय आदेश:-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष स्तर के शिक्षा अधिकारियों का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-4 में अंकित स्थान/विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है। सम्बन्धित शिक्षा अधिकारी द्वारा यदि कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि के दौरान किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया है, तो अवकाश स्वीकृति एवं उपस्थिति की पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जावे।

क्रस	कार्मिक का नाम मय पदनाम व पदस्थापन स्थान	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से वेतन आहरित किया जाना है
I	II	III	IV
1	सुनीता बाई मीणा प्रधानाचार्य राउमावि अणतपुरा, जैतपुरा, जयपुर	जुलाई 2022	राउमावि भोपावास, गोविन्दगढ़, जयपुर
2	भवानी सिंह पंवार प्रधानाध्यापक वर्तमान ए.पी.ओ. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रायपुर, पाली	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	राउमावि बाबरा, रायपुर, पाली
3	अमोलक मोर्य प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कुशालपुरा, पाली	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	राउमावि टाडावाड़ा गुजरान कुम्भलगढ़, राजसमंद
4	मणिधर शर्मा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, गढ़मोरा नादौती, करौली	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	राउमावि गांवडी, नादौती, करौली
5	कमलेश कुमार मेहरा प्रधानाचार्य महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, कैमला, नादौती, करौली	जुलाई 2022 से आगामी आदेशों तक	राउमावि बहावद, नादौती, करौली

वेतन आहरण से पूर्व विभागीय परिपत्र क्रमांक शिविरा/मा/बजट/बी-4 /25577 /2020-21 /226 दिनांक 26.11.2020 में प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावे। क्र.सं. 2 से 5 पर अंकित अधिकारी का कॉलम संख्या 03 में अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या 4 में अंकित विद्यालय से आगामी आदेश तक/वेतन आहरित किये जाने वाले विद्यालय में प्राधानाचार्य-उमावि के कार्यग्रहण पर (जो भी पहले हो) आहरित किये जावे।

सत्यमेव जयते



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1,2/45001-45005/प्रधानाचार्य-प्रधानाध्यापक/वेतन व्यवस्था/2022/448 दिनांक:-08.09.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड हेतु।
- 3 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ।
- 4 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 7 रक्षित पत्रावली।



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर